# पंचायत राज विभाग

## जनपद – गोरखपुर

भारत के 73वें संविधान संशोधन 1992 के अनुश्रवण में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है। नयी पंचायती राज व्यवस्था प्रदेश में 1994 में लागू की गयी। त्रिस्तरीय पंचायतों की दस नयी व्यवस्था में संविधान संशोधन की भावना को मूर्त रूप देने के लिए सत्ता के विकेन्द्रीकरण एवं विकास कार्यक्रमों जन सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश शासन द्वारा अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में विकेन्द्रीकरण व्यवस्था को प्रभावी बनाने की प्रक्रिया अनवरत् गतिमान है। जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत त्रिस्तरीय पंचायतों व उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों का विवरण निम्न प्रकार है :–

### xkj[kiqj eMy d f=Lrjh; iapk;rk@fuokZfpr izfrfuf/k;ksa dk fooj.k & ,d n`f"V

| Øe | tuin dk uke | ftyk iapk;r dh la[;k | fodkl [k.M dh la[;k | U;k; iapk;r la[;k | xzke iapk;r la[;k |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | गोरखपुर | 1 | 19 | 191 | 1233 |

| Øe | tuin dk uke | xzke iapk;r dh la[;k | xzke iapk;r lnL;ksa dh la[;k | {ks= izeq[k dh la[;k | {ks= iapk;r lnL;ksa dh la[;k | v/;{k ftyk iapk;r dh la[;k | ftyk iapk;r lnL;ksa dh la[;k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | गोरखपुर | 1233 | 15339 | 19 | 1489 | 1 | 60 |

विकेन्द्रीकरण प्रक्रिया में पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों पर छः समितियों के संगठन की भी व्यवस्था प्राविधानित है, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

1. नियोजन एवं विकास समिति
2. स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति
3. प्रशासनिक समिति
4. शिक्षा समिति
5. निर्माण एवं कार्य समिति
6. जल प्रबन्धन समिति

नई पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के पश्चात ग्राम पंचायतों को विकास की प्रमुख इकाई मानते हुए विभिन्न विभागों की अनेक योजनाओं को संचालित व क्रियान्वित

करने का दायित्व ग्राम पंचायतों को सौंपा गया है। इसी प्रक्रिया में पंचायत राज विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों को सौंपी गयी योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण निम्नवत् है:–

# lEi.kZ LoPNrk vfHk;ku

समुदाय एवं किसी व्यक्ति के लिए पेयजल, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य के बीच सीधा सम्बन्ध है। अशुद्ध पेयजल, मानव मल का अनुचित ढंग से निस्तारण, गंदा वातावरण एवं अस्वास्थ्यकारी आदतों के कारण अनेक बीमारियाँ पैदा होती हैं तथा लाखों व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त करते हैं, जिसमें सर्वाधिक संख्या 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की होती है। ग्रामीण स्वच्छता को अपनाकर इस पर नियन्त्रण प्राप्त किया जा सकता है। इसको दृष्टिगत रखकर वर्ष 1999 – 2000 से सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान प्रारम्भ किया गया है। जनपद गोरखपुर में वर्ष 2001–2002 में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान आरम्भ हुआ है। आरम्भ होने के पूर्व गोरखपुर जनपद में सिर्फ 14 प्रतिशत परिवारों के पास व्यक्तिगत शौचालय की सुविधा उपलब्ध थी। माह दिसम्बर, 2008 तक गोरखपुर जनपद में 54 प्रतिशत परिवारों के पास व्यक्तिगत शौचालय की सुविधा उपलब्ध करायी जा चुकी है।

## LoPNrk d: lkr vk;ke %&

- पेयजल का सुरक्षित रखरखाव
- बेकार पानी की उचित निकासी
- मानव मल का सुरक्षित निपटान
- कूड़ा करकट का उचित निपटान
- घर एवं भोजन की स्वच्छता
- व्यक्तिगत स्वच्छता
- पर्यावरणीय स्वच्छता

## mn~ns'; %&

(क) स्वच्छता के विभिन्न घटकों के प्रति समुदाय में जागरूकता पैदा करना।

(ख) समुदाय को स्वच्छता सुविधाओं के प्रति उनके उत्तरदायित्व को ग्रहण करने हेतु जागरूक बनाना तथा उसका व्यवस्थित रखरखाव करना।

(ग) सभी परिवारों द्वारा व्यक्तिगत शौचालयों का प्रयोग करना।

(घ) सभी विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय एवं मूत्रालय के साथ हाथ धोने की सुविधायें उपलब्ध करना।

(ङ) खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करना।

(च) मानव द्वारा मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करना।

(छ) अस्वच्छ वातावरण एवं गन्दे पानी से होने वाले रोगों पर नियन्त्रण करना।

(ज) बाल मृत्युदर में कमी लाना।

(झ) ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर / शैली में गुणात्मक सुधार लाना।

## xfrfof/k;k¡ %&

अभियान के सफलतापूर्वक संचालन हेतु निम्नलिखित गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन आवश्यक है :–

- शौचालय की मांग हेतु जागरूकता अभियान

- क्षमता विकास की गतिविधियाँ
- समुदाय को तकनीकी विकल्प प्रदान करना व उनकी पसंद के व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण
- शौचालय निर्माण सामग्री की स्थानीय स्तर पर उपलब्धता
- स्कूल स्वच्छता व आंगनबाड़ी स्वच्छता
- सामुदायिक शौचालयों का निर्माण
- ग्राम पंचायत स्तर पर अन्तर्विभागीय समन्वय
- ग्राम पंचायत द्वारा कार्यक्रम का प्रभावी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन
- प्रोत्साहन एवं पुरस्कार ग्राम पंचायतों / विद्यालयों को

## lpuk] f'k{kk] lEizs"k.k ¼vkbZ-bZ-lh-½ dh j.kuhfr %&

- सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के प्रमुख उद्देश्य निम्नवत् हैं :–
  (क) खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करना
  (ख) कम लागत एवं उचित तकनीक के शौचालयों के साथ स्वच्छता सुविधाओं से आच्छादन में वृद्धि करना
  (ग) स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा शौचालय सुविधाओं की मांग
  (घ) स्कूलों एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से बच्चों एवं समुदाय में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य शिक्षा का प्रसार
- उक्त की प्राप्ति व्यक्ति एवं समुदाय के व्यवहार में परिवर्तन से ही सम्भव है। सामान्य तौर पर यह पाया गया है कि प्रेरकों द्वारा समुदाय के मात्र प्रभावी व्यक्तियों तक ही सम्पर्क रखा जाता है तथा महिलाओं एवं गरीब वर्ग उपेक्षित रहता है, जबकि आई.ई.सी. गतिविधियों को महिलाओं एवं निर्बल वर्गों पर अधिक केन्द्रित किये जाने की आवश्यकता है।

## 0;fDrxr 'kkSpky; %&

व्यक्तिगत शौचालय निर्माण से पूर्व मांग सृजन एवं स्थल चयन प्रपत्र को भरवा लें जिससे शौचालय निर्माण कराने वाले की इच्छा परिलक्षित हो, स्थल चयन में जल स्रोत चिन्हित हों जिससे की भूजल को प्रदूषित न होना सुनिश्चित हो सके।

- नये संशोधित शासनादेश के अनुसार योजना के अन्तर्गत प्रति शौचालय प्रोत्साहन धनराशि निम्न प्रकार दी जाती है :–

| | ch-ih-,y- | ,-ih-,y- |
|---|---|---|
| केन्द्रांश | रू. 2200.00 | – |
| राज्यांश | रू. 1000.00 | – |
| लाभार्थी अंश | रू. 400.00 | रू. 400.00 |
| ग्राम पंचायत द्वारा प्रोत्साहन | – | रू. 1500.00 |
| ;kx | : - 3600-00 | : - 1900-00 |

Mk0 vEcMdj xke lHkkvk e LoPN 'kkpky; fuek.k gr u;s nj d vulkj %&

1. केन्द्रांश रू0 2200.00
2. राज्य सरकार द्वारा प्रति शौचालय प्रोत्साहन की धनराशि रू0 2340.00
   राज्यांश मद से रू0 1000.00
3. लाभार्थी का अंश (नकद अथवा श्रमदान के रूप में) रू0 400.00

---

;kx : 0 5940-00

---

- इस स्कीम में कक्ष से हटकर एक गड्ढे का निर्माण किया जाता है व दूसरे गड्ढे का प्राविधान होता है जो पहले पिट के भर जाने पर लाभार्थी द्वारा स्वयं बनाया जाता है। इसे लीच पिट शौचालय कहते हैं।
- बी.पी.एल. शौचालय हेतु टी.एस.सी. का रू. 2200 केन्द्रांश, रू. 1000 राज्यांश कुल रू. 3200 ग्राम पंचायत को आवंटित किया जाता है।
- ए.पी.एल. शौचालय हेतु रू. 1500 विशेष प्रोत्साहन धनराशि ग्राम पंचायत को आवंटित की जाती है।
- बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. शौचालयों हेतु लाभार्थी द्वारा रू. 400 अंशदान ग्राम पंचायत कोष में जमा कर रूप पत्र – 7 (रसीद) प्राप्त किया जायेगा। यदि लाभार्थी श्रम या सामग्री के रूप में अंशदान किया जाता है तो उसका आंकलन धनराशि के रूप में किया जायेगा परन्तु नकद धनराशि जमा करने को ही प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
- लाभार्थी द्वारा दरवाजे का निर्माण स्वयं कराया जायेगा। लाभार्थी अधिक धनराशि लगाकर उच्चकोटि का सुपर स्ट्रक्चर बनवाने के लिए स्वतन्त्र होगा परन्तु भूमि के भीतर की तकनीकी में फेरबदल नहीं किया जायेगा।
- प्रत्येक शौचालय के निर्माण के उपरान्त गुणवत्ता सत्यापन एवं कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से तैयार किया जायेगा।

## yhp fiV 'kkpky; rFkk lfIVd Vd 'kkpky; dh rqyuk

| yhp fiV | lfIVd Vd |
|---|---|
| • कम लागत | • उच्च लागत |
| • कम स्थान | • अधिक स्थान |
| • कम पानी (2 लीटर) | • अधिक पानी (8–10 लीटर) |
| • मल खाद में परिवर्तित | • मल को बाहर निकालना कठिन |
| • रखरखाव पर कोई खर्च नहीं | • रखरखाव पर खर्च |
| • गड्ढे की सफाई आसान | • मल से निकलने वाले पाली का उचित निस्तारण आवश्यक |
| • मच्छर, मक्खी पैदा नहीं | • मच्छरों का खतरा |

| | |
|---|---|
| होते | |

### bdk&lSu ekWMy 'kkSpky; %&

गोरखपुर जनपद में बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए बाढ़ से पीड़ित ग्रामीण जनों के लिए मंडलीय स्वच्छता प्रकोष्ठ के प्रयास से बाढ़ राहत केन्द्र पर यूनीसेफ की सहायता से मानव मल के उचित निपटान के लिए इको–सैन मॉडल शौचालय का निर्माण जनपद गोरखपुर में 15 इको–सैन मॉडल शौचालय का निर्माण कराया गया है। यह एक विशिष्ट तकनीक का शौचालय है जिसमें लीच पिट ऊपर होता है। शौच के दौरान मल–मूत्र उपयोग में प्रयुक्त होने वाले पानी पृथक–पृथक गड्ढों में जाता है तथा उसके पश्चात खाद के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। एक इको–सैन मॉडल शौचालय यूनिट की लागत रू. 9,300.00 प्रयुक्त होता है।

## Ldwy LoPNrk ,oa LokLF; f'k{kk

### mn~ns'; %&

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय जाने वाले बच्चों की सर्वाधिक संख्या है। प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक दोनों को मिलाकर ग्रामीण विद्यालयों का संख्या एक लाख से अधिक है जिसमें लगभग एक करोड़ स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। लगभग 70 प्रतिशत विद्यालय भवनों में ही स्वच्छता सुविधायें उपलब्ध है। जिन विद्यालयों में जल एवं स्वच्छता सुविधायें हैं वे भी अक्सर निम्नलिखित कमियों/समस्याओं से ग्रस्त हैं :–

- छात्र एवं छात्राओं के लिए पृथक से शौचालय व मूत्रालय का न होना।
- जलापूर्ति तथा हाथ धोने की सुविधाओं का नहीं होना या कमी होना।
- शौचालयों को बच्चों विशेष लड़कियों का आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं बनाया गया है।
- टूटी–फूटी पेयजलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधायें।
- बच्चों में अस्वास्थ्यकर और हाथ नहीं धोने की गलत आदतें।
- बच्चों में स्वास्थ्यप्रद शिक्षा का अभाव है।
- अस्वास्थ्यप्रद और गंदे कक्ष तथा विद्यालय परिसर।
- उपलब्ध सुविधाओं का खराब संचालन एवं अव्यवस्थित रखरखाव।

### lEiw.kZ LoPNrk vfHk;ku ds vUrxZr Ldwy LoPNrk dh vko';drk %&

ग्रामीण स्कूल स्वच्छता समुदाय द्वारा स्वच्छता को व्यापक रूप से अपनाने का प्रवेश बिन्दु हो सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए टी.एस.सी. में स्कूल स्वच्छता आच्छादन में निम्न उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है :–

- स्कूल में पेयजल एवं स्वच्छता सुविधायें मुहैया करना जिससे बचपन से ही बच्चे सुविधाओं का इस्तेमाल करें तथा ऐसा करने की आदत डालें।
- छात्र–छात्राओं द्वारा शौचालय व मूत्रालय का प्रयोग करना, उचित समय (खाने से पूर्व तथा शौचालय उपयोग के बाद) पर साबुन से हाथ धोने तथा शौचालय साफ करने को प्रेरित करना।
- स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा स्वच्छता व्यवहार में परिवर्तन तथा इसे घर समुदाय से जोड़ना।

- स्कूल में एक ऐसी प्रणाली विकसित करना जिससे एक बार सृजित सुविधाओं का बिना किसी बाहरी सहयोग के रखरखाव हो सके।
- स्थायित्व सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक, पी.टी.ए., पंचायती राज संस्थायें आदि की क्षमता का विकास करना।

## Ldiy LoPNrk ,o vkjkX; f'k{kk gr lEi.k LoPNrk vfHk;ku e ikfo/kku %&

घटक के महत्व को देखते हुए टी.एस.सी. में इसका विशेष प्राविधान किया गया है जो निम्नवत् है :–

- प्रति शौचालय रू. 20,000.00 की अनुमानित इकाई लागत है जिसमें रू. 14,000.00 केन्द्रांश तथा रू. 6,000.00 राज्यांश है। सह शिक्षा स्कूलों में छात्रों व छात्राओं के लिए अलग–अलग दो इकाईयों का निर्माण होगा।
- ग्राम पंचायत स्वयं के पास उपलब्ध धनराशि से शौचालय में बच्चों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए अतिरिक्त मूत्रालयों का निर्माण करा सकती हैं।
- ग्राम पंचायत उपलब्ध संसाधनों से शौचालय में जलापूर्ति की व्यवस्था कर सकती है।

## Ldiy 'kkpky; ,o vkjkX; f'k{kk d ?kVd %&

स्कूल स्वच्छता एवं आरोग्य शिक्षा कार्यक्रम को मुख्य रूप से दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है:–

1- fuek.k dk;l %& विद्यालय परिसर में उपलब्ध पेयजल, हाथ धोने एवं शौचालय सुविधाओं का सम्पूर्ण पैकेज है।
2- LokLF; f'k{kk %& स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की गतिविधियों की प्रोन्नति करना जिससे स्कूल में, स्कूल के स्टाफ में तथा छात्रों की आदतों में सुधार हो तथा जलजनित बीमारियों को रोकने में मदद मिले।

प्रत्येक घटक में कुछ विशिष्ट गतिविधियाँ होती है जिसे नियोजत तथा क्रियान्वयन स्तर पर किया जाता है। घटकों का विस्तृत गतिविधिवार विवरण निम्नवत् है :–

- सभी सरकारी ग्रामीण स्कूलों (प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, सेकेन्ड्री व हायर सेकेन्ड्री विद्यालयों) में टी.एस.सी. के अन्तर्गत शौचालय निर्माण। सभी सह शिक्षा स्कूलों में छात्राओं के लिए पृथक शौचालय खण्ड से आच्छादित करना है। प्रत्येक शौचालय खण्ड में एक शौचालय, दो या तीन (छात्रों की संख्या पर) मूत्रालय, जल भण्डारण तथा हाथ धोने की सुविधा।
- सभी स्कूलों में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करवाना।
- सभी विद्यालयों में हाथ धोने की सुविधा तथा स्वच्छता सामग्री जैसे बाल्टी, मग, साबुनदानी, ब्रश, पेयजल भण्डारण हेतु ड्रम आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- बेकार पानी की निकासी हेतु नाली एवं सोख्ता गड्ढा निर्माण।
- कूड़ा गड्ढा, सोख्ता गड्ढा, मिड डे मील भण्डारण की व्यवस्था करवाना।
- पूर्व निर्मित पेयजल व स्वच्छता सुविधाओं का जीर्णेद्धार एवं रखरखाव।
- विद्यालय भवन में लीकेज, दरार और टूट–फूट को चिन्हित कर उनकी मरम्मत कराना।
- निर्माण तथा तकनीकी गुणवत्ता सुनिश्चित करना।
- गुणवत्ता जांच एवं प्रमाणीकरण।

## fuek.k dk;l e iLrkfor dk;l %&

सभी स्कूलों को शौचालयों से आच्छादित करते समय निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान देना है :–

- शौचालय एवं मूत्रालय को बदबू रहित करने के लिए सिरेमिक टाइल्स का प्रयोग किया जाना चाहिए।
- शौचालय में रोशनी तथा हवा के लिए रोशनदानों की भी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।
- शौचालय में छोटे छात्रों को ध्यान में रखते हुए बैठकर पकड़ने की ऊँचाई पर हैण्डल लगा देना चाहिए।
- छात्राओं के शौचालय प्रयोग में सुविधा हेतु खण्ड के भीतर दुपट्टा आदि को टांगने आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।
- दरवाजे की सिटकनी खोलने में आसान तथा छात्र सुलभ ऊँचाई पर होनी चाहिए।
- शौचालय को जाने वाला रास्ता साफ सुथरा तथा अच्छा होना चाहिए।
- शौचालय निर्माण कराते समय छात्राओं की सुरक्षा तथा प्राइवेसी का विशेष ध्यान रखना चाहिए।
- जूनियर हाईस्कूल या ऊपर के सह शिक्षा विद्यालयों छात्राओं के शौचालय खण्ड से लगा हुआ इन्सीनरेटर का निर्माण कराया जाना चाहिए।

## LokLF; f'k{kk %&

- स्कूलों का आधारभूत सर्वेक्षण (बेस लाइन सर्वे) छात्रों, अध्यापकों, अभिभावकों तथा समुदाय के सदस्यों के साथ सहभागी मूल्यांकन।
- अर्न्तविभागीय समन्वय – जिला स्वच्छता समिति, जल निगम, शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायती राज, ग्राम विकास, समाज कल्याण, आदि विभागों से संसाधन/जानकारी एकत्र करना।
- उद्देश्य, अपेक्षित परिणाम परक कार्ययोजना तैयार करना।
- विद्यालय जागरूकता/आई.ई.सी. – स्कूल जलापूर्ति, स्वच्छता और हाईजीन शिक्षा द्वारा व्यवहार परिवर्तन तथा सहभागिता सुनिश्चित करना।
- ग्राम शिक्षा समिति, स्कूल स्वच्छता क्लब, पी.टी.ए., छात्रों और समुदाय को प्रेरित कर स्कूल के वातावरण को बेहतर बनाने हेतु बाउण्ड्री वाल (घेराबन्दी) वृक्षारोपण तथा स्वच्छता सुविधाओं के रखरखाव में सहयोग सुनिश्चित करना।
- स्कूल के छात्र–छात्राओं, अध्यापकों, मातृ समूह, ग्राम संचार दल के माध्यम से ग्राम सम्पर्क अभियान चलाकर समुदाय को स्वच्छ शौचालय, कूड़ा गड्ढा, सोख्ता गड्ढा, जल भण्डारण तथा अन्य स्वच्छता सुविधा अपनाने को प्रेरित करना।

## fo|ky;k e 'kkpky;k ,o e=ky;k dh l[;k

| Ø-l- | Nk=k@Nk=kvk dh l[;k | 'kkpky; bdkb |
|---|---|---|
| 1. | 100 संख्या तक | 1 शौचालय + 2 मूत्रालय |
| 2. | 100 – 150 संख्या तक | 1 शौचालय + 3 मूत्रालय |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | 150 – 200 संख्या तक | 1 शौचालय + 4 मूत्रालय |

## स्कूल स्वच्छता सुविधाओं का संचालन एवं रखरखाव :-

- गुणवत्ता परक निर्माण – ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम शिक्षा समिति के परामर्श से
- दैनिक रखरखाव – ग्राम शिक्षा समिति/स्कूल सैनिटेशन क्लब से सहयोग से
- दैनिक पर्यवेक्षण – ग्राम शिक्षा समिति/स्वच्छता प्रभारी अध्यापक
- सफाई – छात्रों/छात्राओं का समूह (रोटेशन में)
- उपयोगी सामग्री की व्यवस्था – ग्राम शिक्षा समिति/अभिभावक–अध्यापक संघ (बाल्टी, मग, ब्रश आदि)
- मरम्मत (वार्षिक) – ग्राम पंचायत/ग्राम शिक्षा समिति

## आँगनबाड़ी स्वच्छता

### उद्देश्य :-

- साबुन से हाथ धोने की सुविधा।
- खेलने का स्थान मानव तथा जानवरों के मल से मुक्त हो।
- बाल उपयोगी शौचालयों का निर्माण।
- व्यक्तिगत स्वच्छता, शारीरिक स्वच्छता–बच्चों तथा माताओं की।
- खान–पान की स्वच्छता।
- ओ.आर.एस. की उपलब्धता।

### शौचालय निर्माण :-

- शौचालय की लागत रू. 5,000.00 होगी जिसमें रू. 3,500.00 केन्द्रांश व रू. 1,500.00 राज्यांश होगा।
- निर्माण ग्राम पंचायत द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकत्री के सहयोग से किया जाय।
- पैन के बगल की दीवाल पर हैण्डिल लगा हो जिससे बच्चे को डर लगे तो उसे पकड़ सके।
- बच्चों के आकर्षण हेतु जानवरों, फूलों आदि का चित्रण हो।
- शौचालय में बेबी फ्रेण्डली पैन का प्रयोग होना।
- शौचालय में जाने हेतु सीढ़ी छोटी हो।
- रोशनदान की पूर्ण व्यवस्था हो।
- पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो।
- दरवाजे में कुंडी की ऊँचाई कम हो ताकि बच्चे आसानी से खोल सकें।
- दरवाजे में ऐसी व्यवस्था हो जिससे आवश्यकता पड़ने पर कुंडी बाहर से खोली जा सके।

# lkeqnkf;d 'kkSpky; dkWEiysDl

## dgk¡ ij %&

- सार्वजनिक स्थलों यथा हाट–बाजारों, मेलों में उपयोगार्थ।
- गरीब समुदाय के लिए जहां पर व्यक्तिगत शौचालय हेतु स्थान उपलब्ध न हो।
- जहां पर पानी का स्रोत काफी दूर हो।
- ग्राम पंचायत/स्वयं सहायता समूह रखरखाव की जिम्मेदारी ले।

## LFky p;u %&

- जहां महिलाओं के लिए प्रयोग किसी भी समय सुरक्षित हो।
- आबादी में या आबादी के निकटतम हो।
- पानी का स्रोत उपलब्ध हो।
- स्थल चयन ग्राम पंचायत द्वारा समुदाय के परामर्श से किया जायेगा।

## fMtkbu %&

- प्राइवेसी का ध्यान रखा जाय।
- रोशनदान तथा रोशनी की व्यवस्था हो।
- कपड़ा धोने का चबूतरा हो।
- नहाने की सुविधा/बाथरूम हो।
- महिलाओं के प्रयोगार्थ इन्सीनरेटर होना चाहिए।
- बायोगैस से जोड़ा जाय।
- साफ सफाई एवं रखरखाव आसान हो।
- बेकार पानी की निकासी की उचित व्यवस्था हो।
- समुचित संख्या में शौचालय तथा मूत्रालय हो।
- संशोधित लागत रू. 2 लाख तक (अधिक धनराशि ग्राम पंचायत लगा सकती है) जिसमें 60 प्रतिशत केन्द्रांश + 20 प्रतिशत राज्यांश + 20 प्रतिशत ग्राम पंचायत का अंश है।

## j[kj[kko %&

- किसी स्वयं सहायता समूह द्वारा रखरखाव की जिम्मेदारी ली जा सकती है।
- कॉम्पलेक्स का प्रबन्धन स्वयं सहायता समूह करे।
- स्वयं सहायता समूह को लेखों के रखरखाव का उचित प्रशिक्षण दिया जाय।
- उपभोक्ताओं से शुल्क निर्धारित किया जाय।
- आमदनी का स्रोत भी हो सकता है।
- हाईजीन प्रमोशन हेतु सेनीटरी नैपकिन्स एवं इन्सीनरेटर का प्रयोग महिलाओं द्वारा किया जाय।

# fuely xke iqjLdkj

## ik=rk %&

- खुले में शौच रहित पंचायत।
- सभी परिवारों के पास शौचालय सुविधा।
- सभी विद्यालयों में छात्रों व छात्राओं के लिए अलग–अलग शौचालय एवं मूत्रालय।
- आंगनबाड़ी केन्द्रों में बाल उपयोगी शौचालय।
- ग्राम में पर्यावरणीय स्वच्छता।
- शौचालयों का उपयोग एवं नियमित रखरखाव/सफाई।

## iqjLdkj /kujkf'k %&

| | | |
|---|---|---|
| • ग्राम पंचायत | – | 1000 जनसंख्या तक रू. 0.50 लाख<br>1000 से 1999 जनसंख्या तक रू. 1.00 लाख<br>2000 से 4999 जनसंख्या तक रू. 2.00 लाख<br>5000 से 9999 जनसंख्या तक रू. 4.00 लाख<br>10000 से अधिक जनसंख्या को रू. 5.00 लाख। |
| • क्षेत्र पंचायत | – | 50,000 जनसंख्या तक रू. 10 लाख<br>50,000 से अधिक जनसंख्या को रू. 20 लाख। |
| • जिला पंचायत | – | 10 लाख जनसंख्या तक रू. 30 लाख<br>10 लाख जनसंख्या से अधिक को रू. 50 लाख। |
| • व्यक्तिगत | – | रू. 10,000 का नकद पुरस्कार। |
| • अन्य संस्थाओं को | – | रू. 35,000 का नकद पुरस्कार। |

| | |
|---|---|
| lEidZ vf/kdkjh dk uke | %& Jh vkj0 ds0 Hkkjrh |
| in uke | %& ftyk iapk;r jkt vf/kdkjh] xkj[kiqj |
| njHkk"k la[;k | %& 8127913920] 9415315587 |
| dk;kZy; njHkk"k la[;k | %& 0551&2342710 |
| lEidZ vf/kdkjh dk uke | %& Jh cPpk flag |
| in uke | %& ftyk ifj;kstuk leUo;d] lEiw.kZ LoPNrk vfHk;ku] xkj[kiqj |
| njHkk"k la[;k | %& 9450197801 |